संख्या-6/556 /छः ना0सु0-14-6बजट/13टी0सी0

प्रेषक,

संजीव दूबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊः दिनांक 01 अगस्त, 2014**

विषय- अनुदान संख्या- 27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुसार आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-सिविल रक्षा के अन्तर्गत रू0-9,83,08,000/-(रूपये नौ करोड़ तिरासी लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाये।

3- स्वीकृति धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग कर ली जाये, जो सामान्यतः माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

http://cmasanadesh.up.nic.in

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों, नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित0-1/2004 दिनांक-07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0 1191/दस-2009-मित0-1/2007 दिनांक-26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाये, जिससे यथा सम्भव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुये पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

5- प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 5 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठाकंन संख्या-6/556**(1)**/छ:ना0सु0-14-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (बजट) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन (तीन प्रतियों में)।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(केशव प्रसाद)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-6/556/छ:ना0सु0-14-6बजट/13टी0सी0 दिनांक 01 अगस्त , 2014 का संलग्नक

शीर्षक/मद	कुल बजट प्राविधान (धनराशि हजार रू0 में)	आवंटित की जानी वाली धनराशि (धनराशि हजार रूपये में)
1	2	3
अनुदान संख्या-27 **2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर** **106-सिविल रक्षा** **03 राज्य मुख्यालय स्थापना** **0301-सामान्य**		
01-वेतन	3160	1000
03-महंगाई भत्ता	3318	1027
04-यात्रा व्यय	80	35
06-अन्य भत्ते	632	197
07-मानदेय	04	01
08-कार्यालय व्यय	40	15
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15	12
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	10
46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर/सॉफटवेयर का क्रय	01	01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	60	45
49-चिकित्सा व्यय	250	58
51-वर्दी व्यय	04	03
योग-0301	**7594**	**2404**

http://shasanadesh.up.nic.in

0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत		
01-वेतन	5450	4088
03-महंगाई भत्ता	5722	4292
04-यात्रा व्यय	120	90
05-स्थानान्तरण का व्यय	50	38
06-अन्य भत्ते	780	585
07-मानदेय	10	08
08-कार्यालय व्यय	50	38
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	30	23
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35	27
13-टेलीफोन व्यय	120	90
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	01	01
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	250	188
42-अन्य व्यय	10	08
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	20	15
45-अवकाश यात्रा व्यय	160	120
49-चिकित्सा व्यय	500	375
51-वर्दी व्यय	05	04
योग-0302	**13313**	**9990**
05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति) **0501-सामान्य**		
01-वेतन	50760	38070
02-मजदूरी	500	375
03-मंहगाई भत्ता	53298	39974
04-यात्रा व्यय	300	225

http://shasanadesh.up.nic.in

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	113
06-अन्य भत्ते	5423	4068
07-मानदेय	50	38
08-कार्यालय व्यय	150	113
09-विद्युत देय	500	375
10-जलकर/जलप्रभार	65	49
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	80	60
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75	57
13-टेलीफोन व्यय	300	225
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	650	488
16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	50	38
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	252	189
26-मशीन और सज्जा उपकरण और संयंत्र	340	255
29-अनुरक्षण	200	150
42-अन्य व्यय	40	30
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500	375
45-अवकाश यात्रा व्यय	250	188
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	85	64
49-चिकित्सा व्यय	525	394
51-वर्दी व्यय	01	01
योग-0501	**114544**	**85914**
महायोग 0301+0302+0501	**135451**	**98308**

रूपए नौ करोड़ तिरासी लाख आठ हजार मात्र

(केशव प्रसाद)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in